

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2024/ 5388

पीठारीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 06/03/24

प्रार्थी  
1 चैनाराम पुत्र भैराराम  
जाति जाट निवासी बोला  
व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हेमाराम पुत्र भैराराम 2 जोमाराम पुत्र  
दुर्गाराम के कायम मुकाम 2/1 गजाराम  
2/2 दमाराम 2/3 ताजाराम 3 डालूराम  
पुत्र दुर्गाराम 4 बदीराम पुत्र पूराराम 5  
इमरती पत्नी खेराराम 6 जोमाराम 7  
बांकाराम पिसरान खेराराम निवासी बोला  
8 देवाराम पुत्र मूलाराम 9 धाई पत्नी  
मूलाराम 10 लिखमाराम 11 समताराम  
पिसरान मूलाराम जाति जाट निवासी  
जायडू तहसील रामसर 12 सरपंच, ग्राम  
पंचायत बोला तहसील व जिला बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 368/2024

दिनांक-

05/09/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत  
खसरा संख्या 412/94 रकबा 16.6083 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदर सिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 06/09/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5388- 92

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चैनाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बोला व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हेमाराम पुत्र भैराराम वगैराह निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

